पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्य)

(दिल्ली विश्वविद्यालय)

P.G.D.A.V. COLLEGE (EVE.)

(UNIVERSITY OF DELHI)

विवरणिका २०२५-२६

PROSPECTUS 2025-26

पी.जी.डी.ए.वी. सांध्य को आओ नमन करें

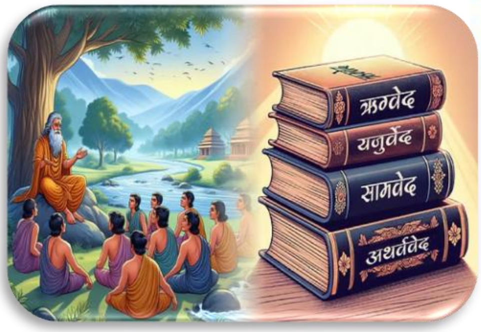

पी.जी.डी.ए.वी. सांध्य को आओ नमन करें।
आओ नमन करें।
संगम है यह परंपरा और अधुनातन शिक्षा का
परिसर है यह वेद और विज्ञान की सम-दीक्षा का।
ज्ञान की पावन गंगा से दोषों का दमन करें।
पी.जी.डी.ए.वी. सांध्य को आओ नमन करें।
आओ नमन करें।

यह अनुपम विचार भूमि है दयानंद स्वामी की
आर्य समाज के उन्नत मस्तक के प्रण अनुगामी की
त्याग, समर्पण और मूल्य शुचिता का गमन करें।
पी.जी.डी.ए.वी. सांध्य को आओ नमन करें।
आओ नमन करें।

गूँजें वेद ऋचाएँ नित-नित इस सुरम्य उपवन में
यज्ञ निरंतर हों, पवित्र वाणी हो इस आँगन में
पावन समिधा से अधर्म का मिलकर दमन करें।
पी.जी.डी.ए.वी. सांध्य को आओ नमन करें।
आओ नमन करें।

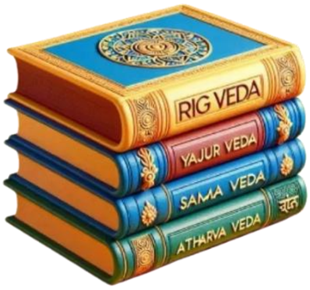

देता शुभ आशीष सभी को यह महाविद्यालय
प्रेम भरे संस्पर्श देव के यह पावन देवालय
ऐसा है संकल्प सभी के दु:खों का शमन करें।
पी.जी.डी.ए.वी. सांध्य को आओ नमन करें।
आओ नमन करें।

प्राचार्य का संदेश

डी.ए.वी. परिवार में सभी नए प्रवेशार्थियों का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आपके समक्ष डी.ए.वी. शब्द संक्षिप्ति को स्पष्ट करना चाहता हूँ। यहाँ डी.ए.वी. क्रमशः दयानंद, एंग्लो और वैदिक शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस संस्था की स्थापना जनवरी सन, 1886 ई० में लाहौर में की गई थी। उस समय से आज तक डी.ए.वी. संस्थानों का लगातार विस्तार एक महान नदी की भांति हो रहा है, जिसकी पवित्र और अजस्र धारा न केवल संपूर्ण भारत में अपितु पृथ्वी के पाँचों महाद्वीपों में प्रवाहित हो रही है।

इस संस्थान के निष्काम और समर्पित सदस्यों ने सदैव सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य माना है। अतः डी.ए. वी. संस्थान का आदर्श वाक्य है- "स्वयं से पहले सेवा।" महात्मा हंसराज पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लाहौर में स्थित डी.ए.वी. विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संपूर्ण जिम्मेदारी अकेले ही संभाली थी।

पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (प्रातः) और पी.जी.डी.ए.वी महाविद्यालय (सांध्य) क्रमशः 1957 ई. और 1958 ई. में शुरू किए गए थे। पी.जी.डी.ए.वी महाविद्यालय (सांध्य) का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को पूर्ण गरिमा के साथ उच्च शिक्षा अर्जित करने के लिए प्रेरित करना है। यह महाविद्यालय डी.ए.वी. महाविद्यालय प्रबंध समिति, नई दिल्ली के द्वारा नामित 12 सदस्यीय शासी निकाय के माध्यम से संचालित किया जाता है। डॉ. जी.एल. दत्ता इस महाविद्यालय के संस्थापक व प्रथम प्राचार्य थे और डॉ. भाई महावीर सांध्यकालीन महाविद्यालय के पहले उप-प्राचार्य और प्रभारी थे। यह महाविद्यालय अपनी प्रेरणा वेदों से ग्रहण करता है, जो पूरे विश्व में ज्ञान के प्राचीनतम स्रोत माने जाते हैं। हम महाविद्यालय में नये शैक्षणिक सत्र की शुरूआत यज्ञ से करते हैं।

प्रो. रवींद्र कुमार गुप्ता
प्राचार्य

विद्या मित्रां प्रवासेशु, भार्या मित्रं गृहेशु च। व्याधितस्यौशधं मित्रं, धर्मो मित्रं मृतस्य च।।
अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्। अधनस्य कुतो मित्रं, अमित्रस्य कुतः सुखम्।।

प्रवास में विद्या मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोग में औषधि मित्र होती है और मृतक का मित्र धर्म होता है।
आलसी को विद्या कहाँ? और विद्याविहीन को धन कहाँ? धनविहीन को मित्र कहाँ? मित्रविहीन को सुख कहाँ?

पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्य)

पन्नालाल गिरधरलाल दयानंद एंग्लो-वैदिक महाविद्यालय (सांध्य) की स्थापना सन 1958 में डी.ए.वी. महाविद्यालय प्रबंधक समिति द्वारा की गई थी। यह NAAC द्वारा मान्यता प्राप्त सह-शिक्षा संस्थान है। उत्कृष्ट और ज्ञान की श्रेष्ठ परम्परा डी.ए.वी. महाविद्यालय ने भारत में उच्च शिक्षा के प्रख्यात दो संस्थानों दिल्ली विश्वविद्यालय और डी.ए.वी. शिक्षण ट्रस्ट से ग्रहण की है। डी.ए.वी. शिक्षण ट्रस्ट संसार की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था (एन.जी.ओ.) है, जिसके अंतर्गत 900 विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय भारत और विश्वभर में फैले हैं।

यह महाविद्यालय अपने स्वयं के भवन में दिल्ली के एक प्रमुख स्थान नेहरू नगर (लाजपत नगर के पास) रिंग रोड, नई दिल्ली 110065 में स्थित है। यहां आने के लिए दिल्ली के सभी भागों से बस एवं मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय के बिल्कुल बगल में पिंक लाइन पर स्थित विनोबापुरी मेट्रो स्टेशन है।

यहाँ के संकाय सदस्य प्रतिभावान निपुण एवं समर्पित हैं तथा कार्यालय के कर्मचारी अनुभवी एवं परस्पर सहयोगी हैं। महाविद्यालय में समृद्ध कंप्यूटरीकृत पुस्तकालय, सुसज्जित एवं वातानुकूलित संगोष्ठी कक्ष, ऑडिटोरियम तथा विश्वविद्यालय स्तरीय एक श्रेष्ठ खेल परिसर की व्यवस्था है।

महाविद्यालय, विश्वविद्यालय कैलेंडर के अनुसार ग्रीष्म अवकाश के बाद खुलता है। कक्षाएँ अपराह्न 03.00 बजे से प्रारंभ होती हैं और रात्रि 09.00 बजे तक चलती हैं। यदि आवश्यक हो तो समय को किसी भी स्तर पर संशोधित किया जा सकता है। सभी नवप्रवेशित छात्रों को विस्तृत समय सारणी प्रदान की जाएगी।

अध्ययन पाठ्यक्रम

महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान करता है। प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संभावित संख्या प्रत्येक पाठ्यक्रम के सामने दी गई है:

पाठ्यक्रम	**वर्ग**					
	सामान्य	**ई.डब्ल्यू.एस**	**एस.सी.**	**एस.टी.**	**ओ.बी.सी.**	**कुल**
बी. ए. (प्रोग्राम)	140	37	50	27	93	347
बी. कॉम.(प्रोग्राम)	94	23	35	17	62	231
बी. कॉम (ऑनर्स)	39	10	15	7	26	97
बी. ए. (ऑनर्स) हिंदी	16	4	6	3	10	39
बी. ए. (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान	23	6	8	4	15	56
बी. एससी. (ऑनर्स) गणित	16	4	6	3	10	39
बी. ए. (ऑनर्स) संस्कृत	23	6	9	4	16	58
एम. ए. (हिंदी)	7	2	2	1	4	16
	358	**92**	**131**	**66**	**236**	**883**

पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिल्ली विश्वविद्यालय के चरणबद्ध कार्यक्रम में योग्यता और प्रत्येक पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों की कुल संख्या के आधार पर किया जाएगा। महाविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर स्नातक पाठ्यक्रम रूपरेखा 2022 के अनुसार सेमेस्टर प्रणाली का पालन करता है।

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नियमित कॉलेजों में स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश और प्रवेश कार्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं।

पाठ्यक्रम	कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता
बी. ए. (प्रोग्राम)	अभ्यर्थियों को निम्नलिखित में से किसी एक विषय समुच्चय में सीयूईटी (स्नातक) में उपस्थित होना होगा: समुच्चय 1: सूची क से कोई एक भाषा + सूची ख (1) से कोई दो विषय + सूची ख (1) या सूची ख (2) में से कोई एक विषय अथवा समुच्चय 2: सूची क में से कोई एक भाषा + सूची ख (1) या सूची ख (2) में से कोई एक विषय + सीयूईटी (स्नातक) (सामान्य परीक्षण) का खंड III वरीयता (मेरिट) उपर्युक्त विषयों में से किसी भी समुच्चय से प्राप्त सर्वोत्तम सीयूईटी (स्नातक) अंकों के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी। नोट : जैसा कि सीयूईटी (स्नातक) अनुभागों का भार (वेटेज) समान नहीं है, इसलिए उचित अनुपातिकता की जाएगी।
बी. कॉम. (प्रोग्राम)	अभ्यर्थियों को निम्नलिखित में से किसी एक विषय समुच्चय में सीयूईटी (स्नातक) में उपस्थित होना होगा: समुच्चय 1: सूची क से कोई एक भाषा + सूची ख (1) से कोई दो विषय + सूची ख (1) या सूची ख (2) में से कोई एक विषय अथवा समुच्चय 2: सूची क में से कोई एक भाषा + सूची ख (1) या सूची ख (2) में से कोई एक विषय + सीयूईटी (स्नातक) (सामान्य परीक्षण) का खंड III वरीयता (मेरिट) उपर्युक्त विषयों में से किसी भी समुच्चय से प्राप्त सर्वोत्तम सीयूईटी (स्नातक) अंकों के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी। नोट : जैसा कि सीयूईटी (स्नातक) अनुभागों का भार (वेटेज) समान नहीं है, इसलिए उचित अनुपातिकता की जाएगी।
बी.कॉम. (ऑनर्स)	अभ्यर्थियों को निम्नलिखित में से किसी एक विषय समुच्चय में सीयूईटी (स्नातक) में उपस्थित होना होगा: समुच्चय 1: सूची क से कोई एक भाषा + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + कोई दो विषय जिनमें से कम से कम एक सूची ख (1) से होना चाहिए। अथवा समुच्चय 2: सूची क से कोई एक भाषा + अकाउंटेंसी/बुक कीपिंग + कोई दो विषय जिनमें से कम से कम एक सूची ख (1) से होना चाहिए। वरीयता (मेरिट) उपर्युक्त समुच्चय से प्राप्त सर्वोत्तम सीयूईटी (स्नातक) अंकों के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी।
बी. ए. हिंदी (ऑनर्स)	अभ्यर्थियों को निम्नलिखित विषय समुच्चय में सीयूईटी (स्नातक) में उपस्थित होना होगा: सूची क से हिंदी+ सूची ख (1) से कोई दो विषय+ सूची ख (1) या सूची ख (2) से कोई एक विषय। वरीयता (मेरिट) उपर्युक्त समुच्चय से प्राप्त सर्वोत्तम सीयूईटी (स्नातक) अंकों के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी।
बी. ए. राजनीति विज्ञान (ऑनर्स)	अभ्यर्थियों को निम्नलिखित विषय समुच्चय में सीयूईटी (स्नातक) में उपस्थित होना होगा: सूची क से कोई एक भाषा+ सूची ख (1) से कोई दो विषय+ सूची ख (1) या सूची ख (2) में से कोई एक विषय। वरीयता (मेरिट) उपर्युक्त समुच्चय से प्राप्त सर्वोत्तम सीयूईटी (स्नातक) अंकों के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी।
बी. एससी. गणित (ऑनर्स)	अभ्यर्थियों को निम्नलिखित विषय समुच्चय में सीयूईटी (स्नातक) में उपस्थित होना होगा: सूची क से कोई एक भाषा + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + कोई दो विषय जिनमें से कम से कम एक सूची ख (1) से होना चाहिए। वरीयता (मेरिट) उपर्युक्त समुच्चय से प्राप्त सर्वोत्तम सीयूईटी (स्नातक) अंकों के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी।
बी. ए. संस्कृत (ऑनर्स)	अभ्यर्थियों को निम्नलिखित में से किसी एक विषय समुच्चय में सीयूईटी (स्नातक) में उपस्थित होना होगा: समुच्चय 1: सूची क से कोई एक भाषा + सूची ख (1) से संस्कृत + कोई दो विषय जिनमें से कम से कम एक सूची ख (1) से होना चाहिए। अथवा समुच्चय 2: सूची क से कोई एक भाषा + सूची क से संस्कृत + कोई दो विषय जिनमें से कम से कम एक सूची ख (1) से होना चाहिए। अथवा समुच्चय 3: सूची क से संस्कृत + कोई तीन विषय जिनमें से कम से कम दो सूची ख (1) से होने चाहिए। अथवा समुच्चय 4: सूची क से कोई एक भाषा + सूची ख (1) से कोई दो विषय + सूची ख (1) अथवा ख (2) से कोई एक विषय। विषयों का संयोजन. वरीयता (मेरिट) उपर्युक्त विषयों में से किसी भी समुच्चय से प्राप्त सर्वोत्तम सीयूईटी (स्नातक) अंकों के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश के लिए समुच्चय 4 का विकल्प चुना है, उन पर केवल समुच्चय 1/2/3 का विकल्प चुनने वाले सभी अभ्यर्थियों पर विचार करने के बाद रिक्त बची सीटों पर ही विचार किया जाएगा।
एम. ए. हिंदी	एम.ए. हिंदी में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता पूरी करनी होगी और सीयूईटी (स्नातकोत्तर) पेपर में उपस्थित होना होगा। सीयूईटी (स्नातकोत्तर) परीक्षा के पाठ्यक्रम के लिए cuet.nta.nic.in देखें। क. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम दो (02) पाठ्यक्रमों के साथ स्नातक की डिग्री ख. निम्नलिखित में से किसी एक में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री: संस्कृत, अंग्रेजी, आधुनिक भारतीय भाषा (हिंदी के अलावा), भाषाविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, बुद्धिस्ट अध्ययन, पत्रकारिता/जनसंचार। क. दिल्ली विश्वविद्यालय से बी. ए. (ऑनर्स) हिंदी।

बी.ए. (प्रोग्राम) में दाखिला लेने वाले छात्र निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध विषयों के समुच्च्यों में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं

विषयों का समुच्चय	विषयों का समुच्चय	विषयों का समुच्चय
अर्थशास्त्र-गणित	अर्थशास्त्र-इतिहास	हिन्दी-इतिहास
अर्थशास्त्र-राजनीति विज्ञान	इतिहास-राजनीति विज्ञान	इतिहास-शारीरिक शिक्षा
हिन्दी अनुशासन-राजनीति विज्ञान	शारीरिक शिक्षा-राजनीति विज्ञान	अंग्रेजी-इतिहास
अंग्रेजी-गणित	वाणिज्य-अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र-अंग्रेजी
अंग्रेजी-राजनीति विज्ञान		

हिंदी में अनिवार्य परीक्षा (सीटीएच) उन छात्रों (सभी पाठ्यक्रमों के लिए) के लिए होती है जिन्होंने आठवीं कक्षा तक भी हिंदी नहीं पढ़ी है।

स्नातक प्रवेश के लिए आवश्यक पात्रता

सामान्य न्यूनतम पात्रता*

अभ्यर्थी द्वारा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।

*न्यूनतम पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केवल एक बोर्ड की मार्कशीट/डिग्री पर विचार किया जाएगा। (उदाहरण के लिए, यदि कोई उम्मीदवार गणित को छोड़कर पांच विषयों के साथ सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुआ है और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) जैसे किसी अन्य बोर्ड से गणित की परीक्षा में शामिल होता है और उत्तीर्ण होता है, तो न्यूनतम पात्रता केवल सीबीएसई द्वारा जारी मार्कशीट के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी)।

दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए सीयूईटी (स्नातक) - 2025 में चुनी जाने वाली भाषाओं और क्षेत्र विशिष्ट के विषयों की सूची :

सूची क: सीयूईटी (स्नातक) - 2025 की धारा 1 क और धारा 1 ख की सभी भाषाएँ।

उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से कम से कम एक भाषा को चुनना होगा			
अरबी	गुजराती	मणिपुरी	स्पैनिश
असमिया	हिंदी	मराठी	तमिल
बांग्ला	इटेलियन	नेपाली	तेलुगु
बोडो	जापानी	उड़िया	तिब्बती
चीनी	कन्नड	फ़ारसी	उर्दू
डोगरी	कश्मीरी	पंजाबी	
अंग्रेज़ी	कोंकणी	रूसी	
फ्रेंच	मैथिली	संस्कृत	
जर्मन	मलयालम	संथाली	

सूची ख: सीयूईटी (स्नातक) 2025 के खंड II में उल्लिखित क्षेत्र विशिष्ट विषयों को सूची ख (1)और सूची ख (2) दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अभ्यर्थी सीयूईटी (स्नातक) 2025 में सम्मिलित होने एवं विषयों को चुनने के लिए कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता को अवश्य देखें।

क्रम संख्या	सूची ख (1) में विषय	क्रम संख्या	सूची ख (2) में विषय
1.	लेखाशास्त्र (अकाउंटेंसी)	1.	कृषि
2.	मानवशास्त्र (एंथ्रोपोलॉजी)	2.	इंजीनियरिंग ग्राफिक्स
3.	जीवविज्ञान/जैविक अध्ययन /बायोटेक्नोलॉजी/बायोकैमिस्ट्री	3.	उद्यमिता
4.	बिजनेस स्टडीज	4.	भारतीय ज्ञान परंपरा और प्रथाएं
5.	रसायन शास्त्र	5.	ललित कला/दृश्य कला (मूर्तिकला/पेंटिंग)/वाणिज्यिक कला
6.	कंप्यूटर विज्ञान/सूचना अभ्यास	6.	मास मीडिया/मास कम्युनिकेशन
7.	अर्थशास्त्र/व्यावसायिक अर्थशास्त्र	7.	शारीरिक शिक्षा/एनसीसी/योग
8.	पर्यावरण अध्ययन	8.	प्रदर्शन कला
9.	भूगोल भूविज्ञान	9.	शिक्षण अभिक्षमता
10.	इतिहास		
11.	गृह विज्ञान		
12.	कानूनी अध्ययन		
13.	गणित		
14.	भौतिकी		
15.	राजनीति विज्ञान		
16.	मनोविज्ञान		
17.	संस्कृत		
18.	समाजशास्त्र		

शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के दिशानिर्देश

अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए सभी अभ्यर्थियों (अतिरिक्त सीटों के लिए आवेदन करने वालों सहित) को सीयूईटी (स्नातक) - 2025 के लिए https://cuet.samarth.ac.in पर पंजीकरण करना होगा। सीट आवंटन के लिए उम्मीदवारों को दिल्ली विश्वविद्यालय के सामान्य सीट आवंटन प्रणाली (स्नातक) - 2025 पर आवेदन करना होगा।

सभी स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश सामान्य सीट आवंटन प्रणाली (सीएसएएस (स्नातक)-2025) के माध्यम से किया जाएगा।

आवंटन के दौरों की संख्या को कम करने और शैक्षणिक सत्र को समय पर शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय संभावना अनुसार स्वीकृत संख्या से अधिक अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकता है। सीएसएएस (स्नातक)-2025 के माध्यम से आवंटन और प्रवेश से संबंधित विवरण आदि अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

स्नातक कार्यक्रम से संबंधित नवीनतम और अद्यतन जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.admission.uod.ac.in. पर उपलब्ध होगी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल), नॉन-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (एनसीडब्ल्यूईबी) और विदेशी नागरिकों के प्रवेश को छोड़कर दिल्ली विश्वविद्यालय में सभी स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश सीयूईटी (स्नातक) -2025 में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा।
- शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थी को सूचना बुलेटिन की सामग्री के साथ-साथ प्रवेश दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित अधिसूचनाएं, अपडेट और जानकारी बहुत सावधानी से पढ़नी चाहिए।
- अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- अभ्यर्थी द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) द्वारा 10+2 प्रणाली के समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी भारतीय या विदेशी बोर्ड/विश्वविद्यालय की बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
- **दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को उन विषयों में सीयूईटी (स्नातक) - 2025 में उपस्थित होना अनिवार्य है, जिनमें वह बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण कर रहा है।**
- यदि बारहवीं कक्षा में पढ़ा गया विषय सीयूईटी (स्नातक) 2025 में उल्लिखित नहीं है तो अभ्यर्थी को उस भाषा/क्षेत्र विशिष्ट विषय में उपस्थित होना होगा जो उस विषय के समान/निकटता से संबंधित है, जो उसने बारहवीं कक्षा में पढ़ा है (उदाहरण के लिए, यदि किसी अभ्यर्थी ने बारहवीं कक्षा में जीव रसायन का अध्ययन किया है, तो उसे सीयूईटी (स्नातक)-2025 में जीव विज्ञान में उपस्थित होना होगा।
- प्रवेश केवल भाषा और/या क्षेत्र विशिष्ट विषयों के समुच्चय के अंकों पर आधारित होगा जिनमें अभ्यर्थी संबंधित कार्यक्रम- विशिष्ट पात्रता के अनुसार सीयूईटी (स्नातक) 2025 में उपस्थित हुआ है।
- शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रवेश के लिए केवल सीयूईटी (स्नातक) - 2025 में प्राप्त अंकों पर विचार किया जाएगा।
- अभ्यर्थियों को कार्यक्रम-विशिष्ट की आवश्यकताओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए तदनुसार भाषा और/या क्षेत्र विशिष्ट विषय के अनुरूप सीयूईटी (स्नातक)-2025 में उपस्थित होना चाहिए।
- अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह यह जांच ले कि वह उस कार्यक्रम के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है जिसके लिए वह प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हो रहा है। प्रवेश के संबंध में संबंधित कार्यक्रम में निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों पर ही विचार किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी संबंधित कार्यक्रम में आवेदन करने के लिए निर्धारित किसी भी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है और प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होता है तो यह अभ्यर्थी के अपने जोखिम और लागत पर है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवश्यक पात्रता पूरी नहीं हुई हैं तो प्रवेश, यदि दिया गया है, तो रद्द कर दिया जाएगा।
- सीयूईटी (स्नातक) - 2025 के लिए पंजीकरण करने से पहले अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह सूचना बुलेटिन और दिल्ली विश्वविद्यालय संविधि, 1922 को ध्यान से पढ़ें परामर्श करे। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश, नियम और विनियम अभ्यर्थी के लिए बाध्यकारी होंगे।
- सीयूईटी (स्नातक) 2025 प्रपत्र भरते समय अभ्यर्थियों को नाम, हस्ताक्षर और फोटोग्राफ जैसे कुछ क्षेत्रों को सावधानी से भरना चाहिए क्योंकि अभ्यर्थियों की जानकारी बाद में सीयूईटी (स्नातक) -2025 से दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा स्वचालित रूप से एकीकृत की जाएगी। ये क्षेत्र गैर संशोधन योग्य होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश- I के अनुसार, विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजों में स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है। केवल उन कार्यक्रमों में न्यूनतम आयु निर्धारित है जहां संबंधित नियामक निकाय, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई), ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई), डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) आदि ने अपने नियमों में न्यूनतम आयु की आवश्यकता निर्धारित की है।
- स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से रिक्त वर्ष की कोई बाधा नहीं होगी। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रवेश के लिए सीयूईटी (स्नातक) - 2025 में भी उपस्थित होना होगा।
- आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी का नाम अभ्यर्थी के नाम से मेल खाना चाहिए जैसा कि उसके संबंधित स्कूल बोर्ड योग्यता प्रमाण पत्र और सीयूईटी (स्नातक) 2025 में दर्ज है। इसी प्रकार माता-पिता के नाम भी प्रमाण पत्र से मेल खाने चाहिए।

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में पंजीकरण और प्रवेश

1. अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सभी अभ्यर्थियों (अतिरिक्त सीटों के लिए आवेदन करने वालों सहित) को सीयूईटी (स्नातकोत्तर) - 2025 के लिए https://cuet.samarth.ac.in पर पंजीकरण करना होगा। सीट आवंटन के लिए उम्मीदवारों को दिल्ली विश्वविद्यालय के सामान्य सीट आवंटन प्रणाली-2025 पर आवेदन करना होगा।
3. सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश सामान्य सीट आवंटन प्रणाली सीएसएएस (स्नातकोत्तर)-2025 के माध्यम से किया जाएगा।

न्यूनतम पात्रता

सामान्य/ओ.बी.सी.-एन.सी.एल./ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम पात्रता कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता के अनुसार योग्यता परीक्षा में कुल 50% अंक या समकक्ष ग्रेड है।

एस.सी./एस.टी./पी.डब्ल्यू.बी.डी. श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम पात्रता कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता के अनुसार योग्यता परीक्षा में कुल 45% अंक या समकक्ष ग्रेड है।

महत्वपूर्ण बिंदु

1. दिल्ली विश्वविद्यालय में सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश सामान्य यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा (स्नातकोत्तर)-2025 में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा।
2. स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को www.sol.du.ac.in पर जाना होगा।
3. दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश चाहने वाले विदेशी नागरिकों को https://fsr.du.ac.in/ पर पंजीकरण करना होगा।
4. सीयूईटी (स्नातकोत्तर) - 2025 के लिए पंजीकरण करने से पहले अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह सूचना बुलेटिन और दिल्ली विश्वविद्यालय संविधी, 1922 को ध्यान से पढ़ें परामर्श करे। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश, नियम और विनियम अभ्यर्थी के लिए बाध्यकारी होंगे।
5. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वे न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।
6. समकक्ष योग्यता डिग्री वाले अभ्यर्थी भी सीयूईटी (स्नातकोत्तर) -2025 परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र हैं। हालाँकि, उन्हें प्रवेश के समय न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा करना होगा।
7. सीयूईटी (स्नातकोत्तर) 2025 में उपस्थित होने से पहले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता को पूरा करते हैं। उन्हें विशिष्ट कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार सीयूईटी पेपर में उपस्थित होना होगा। सीयूईटी पेपर के पाठ्यक्रम के लिए cuet.nta.nic.in देखें।
8. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रवेश के लिए केवल सीयूईटी (स्नातकोत्तर) - 2025 में प्राप्त अंकों पर विचार किया जाएगा।
9. विशिष्ट कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार वरीयता (मेरिट) पूरी तरह से सीयूईटी परीक्षा (उन कार्यक्रमों को छोड़कर जहां प्रदर्शन परीक्षा/खेल प्रवीणता जांच आदि अनिवार्य हैं) में प्राप्त अंकों पर आधारित होगी।
10. अभ्यर्थियों को यह जांचने की सलाह दी जाती है कि वे उस कार्यक्रम के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं जिसके लिए वे प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं। प्रवेश अभ्यर्थी की संबंधित कार्यक्रम के लिए निर्धारित आवश्यक पात्रता के अधीन है। यदि कोई अभ्यर्थी संबंधित कार्यक्रम में आवेदन करने के लिए निर्धारित किसी भी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है और प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होता है तो यह अभ्यर्थी के अपने जोखिम और लागत पर है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवश्यक पात्रता पूरी नहीं हुई हैं और/या यदि अभ्यर्थी द्वारा उसकी श्रेणी, लिंग आदि के संबंध में किए गए दावे अमान्य पाए जाते हैं तो प्रवेश, यदि दिया गया, तो रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
11. दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को दिल्ली विश्वविद्यालय के सामान्य सीट आवंटन प्रणाली (स्नातकोत्तर)-2025 (सीएसएएस (स्नातकोत्तर)-2025) पर भी आवेदन करना होगा।
12. सीयूईटी (स्नातकोत्तर) - 2025 प्रपत्र भरते समय अभ्यर्थी को सावधान रहना चाहिए क्योंकि अभ्यर्थी का नाम, हस्ताक्षर और फोटोग्राफ जैसे कुछ क्षेत्र बाद में सीयूईटी (स्नातकोत्तर) 2025 पोर्टल से दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा स्वचालित रूप से एकीकृत किए जाएंगे। ये क्षेत्र दिल्ली विश्वविद्यालय के सामान्य सीट आवंटन प्रणाली (स्नातकोत्तर) - 2025 में गैर संशोधन योग्य होंगे।
13. आवंटन के प्रयोजन के लिए सभी अभ्यर्थियों पर सामान्य योग्यता सूची अनुसार विचार किया जाएगा। हालाँकि, श्रेणी 2 के लिए केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों पर ही कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता के अनुसार विचार किया जाएगा।
14. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी.-एन.सी.एल./ई.डब्ल्यू.एस./पी.डब्ल्यू.डी./सी.डब्ल्यू. से संबंधित अभ्यर्थियों को दिल्ली विश्वविद्यालय के सीएसएएस (स्नातकोत्तर) 2025 में आवेदन करते समय एक वैध प्रमाणपत्र/दस्तावेज अपलोड करना होगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी का नाम अभ्यर्थी के नाम से उसी प्रकार मेल खाना चाहिए जैसा कि उसके संबंधित स्कूल बोर्ड योग्यता प्रमाणपत्रों और सीयूईटी (स्नातकोत्तर) - 2025 में दिखाई देता है। इसी प्रकार, माता-पिता के नाम भी प्रमाणपत्रों से मेल खाने चाहिए।
15. दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से रिक्त वर्ष की कोई बाधा नहीं होगी।
16. दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश- I के अनुसार, विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजों में स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है। केवल उन कार्यक्रमों में न्यूनतम आयु निर्धारित है जहां संबंधित नियामक निकाय, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई), ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई), डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) आदि ने अपने नियमों में न्यूनतम आयु की आवश्यकता निर्धारित की है।

17. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अपडेट और शिकायत के लिए वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। प्रकाशित जानकारी और अपडेट के बारे में उम्मीदवार की जागरूकता की कमी से संबंधित किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।
18. सीयूईटी स्नातकोत्तर प्रवेश के संबंध में अधिसूचना और अपडेट के लिए कृपया देखें: www.admission.uod.ac.in

आरक्षण संबंधी नीतियाँ

अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए सीटों का आरक्षण

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस श्रेणी में प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण विभिन्न स्नातक कार्यक्रम निम्नलिखित तरीके से होगा:

अनुसूचित जाति	=	प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों का 15%
अनुसूचित जनजाति	=	प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों का 7.5%
अन्य पिछड़ा वर्ग	=	प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों का 27%
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	=	प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों का 10%

एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्रों का सत्यापन

आरक्षित श्रेणी के तहत छात्रों के प्रवेश की पुष्टि संबंधित सक्षम प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अंतिम सत्यापन/प्रमाणीकरण के बाद ही की जाएगी। महाविद्यालय स्तर पर जांच और प्रवेश अस्थाई आधार पर होगा।

एस.सी./एस.टी.

निम्नलिखित को अपेक्षित एस.सी./एस.टी. प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार है:

(क) जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/ सिटी मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।

(ख) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट |

(ग) तहसीलदार के पद से नीचे का राजस्व अधिकारी नहीं ।

(घ) उप-क्षेत्राधिकारी उस क्षेत्र के अधिकारी जहां आवेदक और / या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं।

(ङ) प्रशासक / विकास अधिकारी / लक्षद्वीप द्वीपसमूह के प्रशासक के सचिव ।

अभ्यर्थी को ध्यान देना चाहिए कि उपर्युक्त व्यक्तियों और संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा जारी एस.सी./एस.टी. प्रमाणपत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है तो आवेदक की जाति/जनजाति उचित भारत सरकार की अधिकृत सूची में सूचीबद्ध होनी चाहिए।

जाति प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि: **(क)** उसकी जाति/जनजाति का नाम **(ख)** क्या आवेदक एस.सी. या एस.टी. जाति से संबंधित है। **(ग)** आवेदक के निवास स्थान का जिला और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख और **(घ)** भारत सरकार की अधिकृत सूची जिसमें आवेदक की जाति/जनजाति को एस.सी. या एस.टी. के रूप में अनुमोदित किया गया है।

प्रवेश के समय अभ्यर्थी को वैध मूल एस.सी. या एस.टी. जाति/जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

हालाँकि, यदि कोई एस.सी./एस.टी. आवेदक किसी अन्य श्रेणी (उदाहरण के लिए: पी.डब्ल्यू.डी./कर्मचारी वार्ड, आदि) के तहत प्रवेश चाहता है तो आवेदक को उस विशेष श्रेणी के लिए न्यूनतम आवश्यकता पात्रता को पूरा करना चाहिए।

नोट: यदि एससी/एसटी अभ्यर्थी वरीयता के आधार पर अनारक्षित सीट पर प्रवेश लेता है तो उसे आरक्षित कोटा में नहीं माना जाएगा। जैसे 22.5% (एस.सी. के लिए 15% और एस.टी. के लिए 7.5%)।

ओ.बी.सी.

ओ.बी.सी. अभ्यर्थी जो 'नॉन-क्रीमी लेयर' से संबंधित हैं और जिनकी जाति केवल ओ.बी.सी. की केंद्रीय सूची में दिखाई देती है वे ओबीसी श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे। (नॉन-क्रीमी लेयर के संबंध में अभ्यर्थी के ओ.बी.सी. प्रमाणपत्र की वैधता अवधि डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36036/2/2013-स्था. (Res-I) दिनांक 31 मार्च 2016 के अनुसार होगी) प्रमाणपत्र 31 मार्च, 2025 को या उसके बाद जारी होना चाहिए।

ई.डब्ल्यू.एस.

दिल्ली विश्वविद्यालय की अधिसूचना के अनुसार (संदर्भ संख्या एसीए I/ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण/2019/63 दिनांक 28 मार्च 2019 और संदर्भ संख्या एसीए I/ ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण/2019/101 का आरक्षण दिनांक 15 मई 2019) के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) श्रेणी के लिए विश्वविद्यालय विभागों / केंद्रों / महाविद्यालयों ने ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए 10% सीटें आरक्षित की हैं। प्रमाणपत्र 31 मार्च, 2025 को या उसके बाद जारी होना चाहिए।

अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश

सभी अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश सीयूईटी (स्नातक) - 2025 के माध्यम से होगा। अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सीयूईटी (स्नातक) - 2025 में उपस्थित होना होगा।

श्रेणी

पी.डब्ल्यू.डी.	विकलांग व्यक्ति के लिए
सी.डब्ल्यू.	अर्ध-सैन्य सहित सशस्त्र बलों के कार्मिकों के बच्चों एवं विधवाओं के लिए कार्यक्रम अनुसार 5% आरक्षण
ई.सी.ए.	पाठ्येतर गतिविधियां
खेल	खेल
के.एम.	कश्मीरी प्रवासी के लिए कार्यक्रम अनुसार 5% तक आरक्षण
पी.एम.एस.एस.	जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति
एस.एस.	नामांकित सिक्किम के विद्यार्थी
डबल्यू.क्यू.	दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का वार्ड कोटा
ओ.क्यू.	अनाथ कोटा (2 सीटें (एक पुरुष और एक महिला) कार्यक्रम-वार आरक्षित हैं।

वार्ड कोटा

दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वार्ड कोटा के तहत प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सीयूईटी (स्नातक)-2025 में उपस्थित होना होगा।

विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षण और गैर- शिक्षण से संबंधित दोनों कर्मचारियों के बच्चों के लिए वार्ड कोटा के अंतर्गत प्रवेश दिनांक 27.11.2020 को शिक्षण अकादमिक परिषद के संकल्प 9 (क) और (ख) में हुए संशोधन के अनुसार दिया जाएगा।

पंजीकरण के समय अभ्यर्थियों के पास उचित अधिकारियों द्वारा जारी वैध रोजगार प्रमाणपत्र होना चाहिए। केवल पंजीकरण के समय अपलोड किए गए रोजगार प्रमाण पत्र पर ही विचार किया जाएगा। आई-कार्ड, आधार कार्ड और/या कोई अन्य दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पाठ्येतर और खेल कोटा के आधार पर प्रवेश के लिए दिशानिर्देश (अतिरिक्त सीटें) 2025-26

पाठ्येतर या खेल के लिए अतिरिक्त कोटा के तहत प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सीयूईटी (स्नातक)-2025 में उपस्थित होना होगा। पाठ्येतर और खेल अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए सीयूईटी स्कोर को 25% और प्रमाणपत्र/परीक्षण/प्रदर्शन को 75% का भार दिया जाएगा।

पाठ्येतर गतिविधियों के अंतर्गत सीटों का आवंटन

क्रमांक	वर्ग	उपश्रेणी कोड	उपश्रेणी	सीटों की संख्या
1.	रचनात्मक लेखन	1क.	रचनात्मक लेखन (हिंदी)	1
2.	नृत्य	2क.	भारतीय शास्त्रीय	2
		2ख.	भारतीय लोक	1
3.	वाद-विवाद	3क.	वाद-विवाद (हिंदी)	1
		3ख.	वाद-विवाद (अंग्रेजी)	1
4.	डिजिटल मीडिया	4क.	फोटोग्राफी	1
5.	ललित (फाइन) कला	5क.	स्केचिंग और पेंटिंग	1
6.	संगीत (वोकल)	6क.	भारतीय	2
7.	संगीत (वाद्य: भारतीय)	7क.	ढोलक	1
8.	संगीत (वाद्य: भारतीय)	7छ.	बांसुरी	1
9.	संगीत (वाद्य: पाश्चात्य)	8छ.	वाद्य का स्वर-पटल	1
10.	रंगमंच (थिएटर)	9.	थिएटर	3
11.	प्रश्नोत्तरी	10.	प्रश्नोत्तरी	1
12.	एन.सी.सी.	12.	एन.सी.सी. - एस.डी. (पुरुष)	3
13.	योग	14.	योग	1
			कुल	**21**

खेल कोटा के अंतर्गत सीटों का आवंटन

क्रमिक संख्या	वर्ग	पुरुषों के लिए सीटों की संख्या	महिलाओं के लिए सीटों की संख्या
1.	ताइक्वांडो	04	शून्य
2.	मुक्केबाजी	03	शून्य
3.	क्रिकेट	03	शून्य
4.	जूडो	02	शून्य
5.	वॉलीबॉल	04	शून्य
6.	वेटलिफ्टिंग / भारोत्तोलन	02	शून्य
7.	बैडमिटन	04	शून्य
कुल		**22**	**शून्य**

प्रमाण पत्रों के सत्यापन, महाविद्यालयों में प्रवेश की मंजूरी और स्नातक कार्यक्रमों के लिए प्रवेश शुल्क के भुगतान की अनुसूची

विस्तृत जानकारी के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.admission.uod.ac.in पर जाएं।

प्रवेश के समय सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

आवेदक को प्रवेश लेते समय वास्तविक प्रमाण-पत्रों (दस्तावेजों) के स्व- हस्ताक्षरित दो सेटों की प्रतिछाया (फोटोकॉपी) देनी होगी:

1. कक्षा दसवीं के प्रमाण-पत्र (अंक तालिका और प्रमाण-पत्र) जिसमें आवेदक की जन्म तिथि और माता-पिता का नाम लिखा हो। (जो विद्यार्थी एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी/ई. डबल्यु. एस./के.एम./सी. डबल्यु आरक्षित कोटे के अन्तर्गत प्रवेश लेना चाहते हैं उनके तथा उनके माता-पिता के नाम आरक्षण प्रमाण-पत्रों में मेल खाने चाहिए)।
2. बारहवीं कक्षा की अंक तालिका।
3. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./ ई. डबल्यु.एस./सी. डबल्यु./ के.एम के प्रमाण-पत्र जो आवेदक के नाम पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए गए हैं तथा उसके बोर्ड के प्रमाण-पत्रों से उसके नाम का साम्य होना चाहिए। इसी तरह आवेदक के माता-पिता के नाम का भी उसके प्रमाण-पत्रों पर दिए गए नाम से साम्य होना चाहिए।
4. ओ.बी.सी. (नॉन क्रीमी लेयर) प्रमाण-पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदक के नाम से जारी किया गया है और जहाँ जाति ओ.बी.सी. की केन्द्रीय सूची, जो http://ncbc.nic.in. द्वारा जारी की गई है में तथा आवेदक के बोर्ड के प्रमाण-पत्रों से नाम का साम्य होना चाहिए । इसी तरह आवेदक के माता-पिता के नाम का उसके दोनों प्रमाण-पत्रों से साम्य होना चाहिए।
5. ई.डब्ल्यु.एस. प्रमाण-पत्र जो आवेदक के नाम पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा आवेदक और उसके माता-पिता का नाम का साम्य उसके बोर्ड के प्रमाण-पत्रों में होना चाहिए । इसी तरह आवेदक के माता-पिता के नाम का भी उसके प्रमाण-पत्रों पर दिए गए नाम से साम्य होना चाहिए।

उपरोक्त उल्लिखित मार्कशीट/प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रतियां भी मूल प्रतियों के साथ जमा होंगी। इसके साथ ही छात्रों को प्रवेश और अन्य प्रपत्रों में लगाने के लिए 4 पासपोर्ट आकार की फोटो लानी होंगी।

अनुशासन

विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखें। विश्वविद्यालय के अध्यादेश XVI-B के अनुसार निम्नलिखित को अनुशासन-विरूद्ध माना जाएगा-

(क) किसी संस्थान / विभाग के शिक्षा एवं गैर-शिक्षा स्टाफ के किसी सदस्य के विरूद्ध और दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर किसी विद्यार्थी के विरूद्ध शारीरिक बल का प्रयोग कर शारीरिक हमले की धमकी देना।

(ख) कोई हथियार रखना, प्रयोग करना अथवा इस्तेमाल की धमकी देना।

(ग) नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन।

(घ) अनुसूचित जाति, जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों की प्रतिष्ठा, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन करना।

(ड.) महिलाओं के प्रति कोई मौखिक अथवा अन्य रूप से अपमानजनक व्यवहार।

(च) किसी तरह से रिश्वत देने या भ्रष्टाचार का प्रयास।

(छ) संस्थागत संपत्ति को जान बूझ कर नुकसान पहुँचाना।

(ज) धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर दुर्भावना और असहिष्णुता फैलाना।

(झ) विश्वविद्यालय की शैक्षिक प्रणाली में किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न करना।

(ट) रैगिंग

धूम्रपान एवं नशा मुक्त क्षेत्र

दिल्ली विश्वविद्यालय तम्बाकू मुक्त पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली पुलिस तथा वर्ल्ड लंग फाउंडेशन, दक्षिण एशिया का साझीदार है। उस दिशा में कदम के तौर पर हमारे महाविद्यालय में धूम्रपान पर पाबंदी लगाई गई है।

महाविद्यालय परिसर शाकाहारी एवं मद्यपान निषेध क्षेत्र है।

यह महाविद्यालय शाकाहार का समर्थन करता है और यह मद्यपान निषेध क्षेत्र हैं। महाविद्यालय परिसर में मांसाहार, मद्यपान करने एवं लाने की सख्त मनाही है। मद्यपान करने के बाद महाविद्यालय में आने की अनुमति नहीं है।

अध्यादेश XV-सी के अनुसार रैगिंग विरोधी विनियम

1. महाविद्यालय/विभाग के परिसर और दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी हिस्से के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन के भीतर किसी भी प्रकार की रैगिंग पर सख्ती से रोक लगाई गई है।

2. रैगिग का कोई वैयक्तिक / सामूहिक कृत्य अथवा व्यवहार अनुशासनहीनता के दायरे में आता है जिस पर अध्यादेश के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
3. इस अध्यादेश के अनुसार साधारणतः रैगिग का अर्थ है ऐसा कोई कृत्य, आचरण अथवा व्यवहार जो वरिष्ठ विद्यार्थियों की प्रबल शक्ति अथवा व्यवस्था द्वारा किया जाता है जिसे नए नामांकित हुए विद्यार्थियों अथवा ऐसे विद्यार्थियों को बर्दाश्त करना पड़ता है जो किसी भी प्रकार से अन्य विद्यार्थियों द्वारा कनिष्ठ अथवा तुच्छ समझा जाता है। इसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:
   (क) शारीरिक हमले अथवा धमकी में शामिल होना; शारीरिक बल का प्रयोग करना;
   (ख) महिला विद्यार्थियों की प्रतिष्ठा, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन करना;
   (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों की प्रतिष्ठा, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन करना;
   (घ) विद्यार्थियों को इस प्रकार से प्रदर्शित करना जिससे उनका उपहास और अपमान हो तथा जिससे उनके आत्म-सम्मान को ठेस लगती हो;
   (ङ) मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करना, छेड़छाड़, अश्लील इशारे और घृणित व्यवहार करना ।
4. यदि रैगिग की कोई सूचना या घटना होती है तो महाविद्यालय के प्राचार्य, विभाग प्रमुख तथा महाविद्यालय प्रशासन द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाएगी।
5. यदि कोई विद्यार्थी जिसने दिल्ली विश्वविद्यालय की उपाधियाँ प्राप्त की हों, वह रैगिग का कोई कृत्य अथवा गलत व्यवहार करते हुए इस अध्यादेश के अधीन पाया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उपाधियों को वापिस लेने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु उस पर संविधि 15 के अधीन कार्यवाही की जा सकती है।

दाखिले के समय प्रत्येक विद्यार्थी को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह प्राचार्य, कुलपति और महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों जिन्हें अनुशासन बनाए रखने के लिए अधिनियम, संविधियों, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए गए अधिनियमों तथा नियमों के अधीन प्राधिकार सौंपे गए हैं, के अनुशासनात्मक न्यायाधिकार के अधीन रहेगा। विद्यार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह महाविद्यालय में रहने के दौरान इस प्रतिबद्धता का अक्षरशः और स्वभाव से सम्मान करेगा।

उपर्युक्त के अलावा, विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे वेबसाइट अर्थात् **https://antiragging.in** पर ऑनलाइन रैगिग रोकथाम वचनबंध भरें। रैगिग रोकथाम वचनबंध की एक हार्ड कॉपी दाखिले के बाद कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है।

विद्यार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे महाविद्यालय परिसर में अपने साथ बाह्य लोगों को लेकर नहीं आएं। यदि विद्यार्थी अनुशासनहीनतापूर्ण गतिविधियों में लिप्त होता है तो, बाह्य व्यक्ति को निरपवाद रूप से पुलिस को सौंप दिया जाएगा और उस पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और ऐसे विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है जो ऐसे बाह्य व्यक्ति को महाविद्यालय परिसर में लेकर आया होगा।

यौन उत्पीड़न और आरटीआई

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (विधि और न्याय मंत्रालय) कॉलेज पर लागू है। विवरण के लिए, कृपया वेबसाइट https://shebox.wcd.gov.in/ देखें।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्रासंगिक उचित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और सभी छात्रों के लिए उपलब्ध है।

सामान्य नियम

1. **उपस्थिति** : आवश्यकतानुसार न्यूनतम उपस्थिति को व्याख्यान, ट्यूटोरियल में नियमों के तहत प्रत्येक वर्ष एवं सेमेस्टर में प्रत्येक छात्र द्वारा पूरा किया जाना होगा। चिकित्सा अवकाश का लाभ तभी मिलेगा जब आवश्यक चिकित्सा और फिटनेस प्रमाण पत्र कॉलेज में उपस्थित होने पर प्रस्तुत किया जाएगा।
2. **आवधिक परीक्षण / परीक्षा / असाइनमेंट** : जब भी आंतरिक परीक्षाएं रखी जाएंगी तो इन्हें अनिवार्यतः लिया जाएगा।
3. **फ्री पीरियड** : ये वाचनालय और पुस्तकालय में अध्ययन के लिए उपयोग किए जाएंगे।
4. **स्वच्छता** : महाविद्यालय में सफाई का विशेष ख्याल रखना होगा।
5. **पहचान पत्र** : प्रत्येक छात्र को अपना स्मार्ट पहचान पत्र हर समय साथ रखना होगा और महाविद्यालय स्टाफ के किसी भी सदस्य द्वारा मांगे जाने पर तुरंत दिखाना होगा। पहचान पत्र खो जाने की स्थिति में एफ.आई.आर. की एक प्रति जमा करने और जुर्माना देने पर ही डुप्लीकेट (प्रतिरूप) पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
6. **नोटिस बोर्ड:** विद्यार्थियों को प्रत्येक दिन में कम से कम एक बार सूचना पट्ट पर नोटिस पढ़ने की आदत बनानी चाहिए।
7. कार्यालय-सूचना, कार्यालय के तत्संबंधी काउंटरों पर ही माँगी जानी चाहिए।
8. विद्यार्थियों से यह उम्मीद की जाती है कि जब कक्षाएँ चल रही हों, तब विद्यार्थी बरामदों में उस समय चहलकदमी अथवा ऊँची आवाज़ में बात नहीं करें। अध्ययन कक्ष के सामने अथवा प्राचार्य कक्ष और कार्यालय के निकट समूहों में खड़े न हों।
9. **स्टाफ रूम** : विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्टाफ सदस्य की अनुमति के बिना स्टाफ कक्ष में प्रवेश नहीं करें और स्टाफ कक्ष के सामने खड़े नहीं हों।
10. **महाविद्यालय के समारोह** : विद्यार्थियों से उम्मीद की जाती है कि वे महाविद्यालय के सभी समारोहों में उपस्थित रहें।
11. **विद्यार्थी यूनियन** : महाविद्यालय में एक विद्यार्थी यूनियन है जो कि डी.यू.एस.यू. (डूसु) से संबद्ध है। द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थी ही महाविद्यालय यूनियन के पदाधिकारियों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं बशर्ते उन्होंने सभी प्रश्न पत्र उत्तीर्ण किए हों तथा पिछले वर्ष में विश्वविद्यालय परीक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।
12. विद्यार्थियों को पोर्च के सामने घुमावदार बरामदे में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
13. महाविद्यालय परिसर के अंदर पाए गए किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को पुलिस को सौंप दिया जाएगा।

किसी नियम की अनभिज्ञता को क्षम्य रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विश्वविद्यालय परीक्षा

एनईपी 2020 पर आधारित स्नातक पाठ्यक्रम रूपरेखा 2022 के अनुसार परीक्षा सेमेस्टर पद्धति में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एक परीक्षा होगी।

आंतरिक मूल्यांकन

आंतरिक मूल्यांकन विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार आयोजित किया जाएगा।

चिकित्सा एवं मनोवैज्ञानिक सुविधाएं

महाविद्यालय में एक अंशकालिक चिकित्सा अधिकारी एवं एएनएम उपलब्ध है। छात्रों को परामर्श देने के लिए साप्ताहिक आधार पर एक मनोवैज्ञानिक भी उपलब्ध है।

सेनेटरी नैपकिन वेंडिग मशीन

हमारा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी सह-शिक्षा महाविद्यालयों में प्रथम था जिसने महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिग मशीन को स्थापित किया था, इसे चिकित्सा कक्ष में स्थापित किया गया है।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

1. **खुलने का समय**

   पुस्तकालय सामान्यतः वर्ष भर, रविवार अवकाश दिवसों को छोड़कर, दोपहर 01:30 से सायं 8:30 बजे तक खुला रहता है। छुट्टियों के दौरान पुस्तकालय का समय प्रत्येक छुट्टियों की शुरुआत से पहले अधिसूचित किया जाता है। विद्यार्थियों के हितो को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय का समय प्रत्येक सत्र की परीक्षा प्रारम्भ होने से दो माह पूर्व प्रातः 9:00 बजे से कर दिया जाता है जिससे विद्यार्थी अपना गहन अध्ययन कर सके। इसके साथ-साथ इस दौरान महाविद्यालय विद्यार्थियों की बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी पूर्ति भी करता है।

2. **पुस्तक जारी करने का समय**

   (क) सामान्य अनुभागः अपराह्न 03:00 बजे से सायं 07:45 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)

   (ख) एक दिवसीय (ओवरनाइट) पुस्तकें (पाठ्य पुस्तक अनुभाग से): सायं 07:45 बजे से सायं 08:15 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)

3. **छात्र विशेषाधिकार (पुस्तकालय से किताबों के लिए)**

   कॉलेज के प्रत्येक छात्र को एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा। कार्ड और रीडर के टिकट-ऑनर्स कोर्स के लिए तीन और कार्यक्रम पाठ्यक्रमों के लिए दो किताबें उधारकर्ता को केवल इन टिकटों के बदले में उधार दी जायेंगी। यह टिकटें हस्तांतरणीय नहीं हैं।

4. **विशेषाधिकार की समयावधि (पुस्तकालय से किताबों के लिए)**

   विभिन्न श्रेणियों की पुस्तकों को एक से 14 दिन तक की अवधि के लिए जारी किया जाता है।

खेल

शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान विभाग

महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित खेलों की खेल-कूद की सुविधा है :

क्रिकेट	ताइक्वांडो
बास्केट बॉल	कबड्डी
फुटबॉल	वेटलिफ्टिंग / भारोत्तोलन
वॉलीबॉल	

दिल्ली विश्वविद्यालय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं को महाविद्यालय द्वारा खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

व्याख्यान

विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों तथा सामयिक रुचि की घटनाओं पर सामान्य वक्तव्य आयोजित किए जाते हैं। इसका प्रयोजन उनकी जिज्ञासाओं को प्रोत्साहित करते हुए तथा सामान्य रुचि की अपेक्षित सूचना उन्हें उपलब्ध करवाते हुए विद्यार्थियों के ज्ञान को बढ़ावा देना है ताकि सामयिक घटनाओं का सही मूल्यांकन करने में उन्हें समर्थ बनाया जा सके।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.)

छात्रों तथा छात्राओं के लिए एन.सी.सी. की एक इकाई महाविद्यालय में कार्य कर रही है। इस योजना से जुड़ने के लिए विद्यार्थियों हेतु यह वैकल्पिक है। परन्तु एक बार विद्यार्थी इससे जुड़ जाता है तो वह इस योजना के अनुशासन तथा विचारधारा से बंध जाएगा। इस महाविद्यालय की एनसीसी इकाई बहुत ही सक्रिय है। प्रशिक्षण के दौरान, कैडिट को कई साहसिक गतिविधियों जैसे पैरा-सेलिग, पैरा-ट्रपिग, पर्वतारोहण, घुड़सवारी, तैराकी आदि में भाग लेने का अवसर मिलता है। तीन वर्षों के प्रशिक्षण में, कैडिट दिल्ली और इसके बाहर विभिन्न प्रकार के कैम्पों में भाग ले सकता है। कैम्प में भाग लेने के बाद कैडिट 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र परीक्षा भाग ले सकता है। जो विद्यार्थी एनसीसी से जुड़ना चाहते हैं वे प्रत्येक चालू वर्ष में जुलाई माह के दौरान नामांकन फार्म भरकर जमा करवा दें।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

समाज के व्यापक कल्याण के लिए महाविद्यालय में एन.एस.एस. इकाई परिचालन में है। इस महाविद्यालय की एनएसएस इकाई समाज के कमजोर तबकों की सेवा में सक्रियता से कार्य करती है। इसका लक्ष्य स्वयंसेवियों में मानवीय मूल्यों, श्रम का गौरव, आत्मविश्वास तथा अनुशासन का बीजारोपण करना है। महाविद्यालय की कुछ एनएसएस परियोजनाएं हैं - रक्तदान, महाविद्यालय कैम्पस स्वच्छता, सामाजिक-आर्थिक कौशल विकास तथा नेतृत्व एवं व्यक्तित्व विकास ।

छात्रों का सांस्कृतिक संवर्धन

विद्यार्थियों तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टाफ में सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिभा तथा इच्छाओं का पता लगाने, विकास करने, प्रशिक्षित करने तथा प्रोत्साहित करने के लिए, सांस्कृतिक परिषद् द्वारा कई कार्यक्रम और परियोजनाएँ चलाई गई हैं। सांस्कृतिक परिषद् द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों में विद्यार्थी भाग ले सकते हैं।

विभागीय सोसायटी

प्रत्येक विभाग में समारोह आयोजित करने के साथ-साथ आपसी चर्चा और विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से छात्रों को विशेष विषयों के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देने के लिए एक सोसायटी है। किसी सेमिनार के विषय से संबंधित किसी भी पहलू को बाहर से किसी विद्वान या महाविद्यालय संकाय के सदस्य द्वारा संबोधित किया जा सकता है। संबोधन के बाद उपस्थित लोगों के बीच स्पष्ट और स्वतंत्र चर्चा हो सकती है। यह महाविद्यालय विद्यार्थियों को ऐसे विभिन्न कैरियर अवसरों के बारे में जानकारी देने के लिए भावी नियोक्ताओं को शामिल करते हुए सेमिनार तथा परिचर्चा सत्र आयोजित करता है जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूर्वकाल में कुछ बड़ी कम्पनियों द्वारा हमारे विद्यार्थियों को भर्ती किया गया है। विद्यार्थियों को नौकरी के अवसरों के बारे में किन्हीं संकाय सदस्यों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। महाविद्यालय ने इस प्रयोजन के लिए कैरियर काउंसलर भी नियुक्त किए हैं।

हरा-भरा परिसर

महाविद्यालय ई-कचरे, प्लास्टिक कचरे और बेकार कागजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देता है। इससे अपशिष्ट/बचा हुआ भोजन; गिरी हुई पत्तियाँ आदि खाद में परिवर्तित हो जाती हैं। इनका उपयोग पौधों और पेड़ों को खाद देने के लिए किया जाता है।

परिसर में एक वर्षा जल संचयन प्रणाली, सोलर लाइटें, सुंदर लॉन और हर्बल गार्डन है।

सेमिनार कक्ष एवं सभागार

महाविद्यालय में बहुत ही सुसज्जित, पूर्णतः वातानुकूलित और ध्वनि की दृष्टि से सुव्यवस्थित सेमिनार कक्ष एवं सभागार है। वर्ष भर इसका उपयोग किया जाता है। इसमें महाविद्यालय द्वारा कई कलात्मक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। प्रख्यात वक्ता तथा प्रतिष्ठित विद्वान महाविद्यालय के शैक्षिणक सत्र में आते हैं और वे अपने ज्ञान, बुद्धि, तत्त्व-चितन तथा कौशल से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। महाविद्यालय में विषय-विशेषज्ञ के रूप में सभी विभागों द्वारा वाद-विवाद

तथा चर्चाएँ एवं अनेक उपयोगी कार्यशालाएं तथा इसी प्रकार की कौशलपूर्ण गतिविधियां विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाती हैं।

कंप्यूटर हब

महाविद्यालय में पूर्णतः प्रयोजनमूलक तथा सुसज्जित कंप्यूटर हब है, जिससे इंटरनेट तथा दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रणाली तक पहुंचा जा सकता है।

महाविद्यालय कैंटीन

इस महाविद्यालय की कैंटीन में कई तरह के व्यंजन, ताज़े तथा स्वास्थ्यकर ढंग से तैयार किए गए सब्सिडीयुक्त दर पर प्रदान किये जाते । यह विद्यार्थियों के बीच भाईचारा बढ़ाने के लिए बहुत ही लोकप्रिय है।

पेय जल

महाविद्यालय आरओ वाटर सिस्टम के माध्यम से उपचारित गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पानी का टीडीएस स्तर मानदंडों के अनुसार बनाए रखा जाता है।

बैंक

महाविद्यालय में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक पूर्ण शाखा है जिसके माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न बैंकिग सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।

कैरियर परामर्श

महाविद्यालय छात्रों को भविष्य में एक उत्पादक करियर के लिए तैयार करने में दृढ़ विश्वास रखता है। शैक्षणिक ज्ञान का होना आवश्यक है लेकिन निश्चित रूप से लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए महाविद्यालय से स्नातक पूरी करने के बाद महाविद्यालय के छात्रों को उनके भविष्य की योजना बनाने में मदद करता है। महाविद्यालय भावी नियोक्ताओं को बुलाता है और विभिन्न सेमिनार और इंटरैक्टिव सत्रों की व्यवस्था करता है ताकि छात्रों को विभिन्न कैरियर अवसरों के बारे में जानने में सक्षम बनाया जा सके।

छात्रों के लिए कॉर्पस फंड

महाविद्यालय ने छात्रों को असाधारण आकस्मिकताओं से निपटने के लिए विशेष कॉर्पस फंड की व्यवस्था की है।

कॉलेज की पत्रिका "नीलाम्बरा"

विद्यार्थियों में साहित्यिक प्रतिभाएँ विकसित करने, उदीयमान लेखकों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सामाजिक, राजनीतिक तथा साहित्यिक महत्ता के विभिन्न मुद्दों पर उनके विचारों, राय तथा युक्तियों को सामने लाने के लिए प्रत्येक वर्ष "नीलाम्बरा" पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इसमें लेख, कविताएँ , कहानियाँ आदि अंग्रेज़ी, हिंदी और संस्कृत भाषा में प्रकाशित की जाती हैं। इसके लिए विद्यार्थी-संपादकों की एक टीम है जो शिक्षण संकाय के सलाहकारों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं जो प्रकाशन के लिए उचित सामग्री का चयन करते हैं।

एलुमनी संघ

पुराने छात्रों का संगठन पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा है और हर वर्ष वार्षिक मिलन समारोह योजित करता है। यह मातृसंस्था में पूर्व छात्रों की रुचि को बढ़ावा देने और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षकों और वर्तमान छात्रों के संपर्क में रहने में मदद करता है। विभिन्न प्रतिभा खोज कार्यक्रमों के साथ-साथ छात्रों के लिए फ्रेशर्स वेलकम का भी आयोजन करता है।

प्लेसमेंट एवं इंटर्नशिप सेल

विद्यार्थियों के व्यावसायिक हितों का ध्यान रखने के लिए महाविद्यालय में एक नियोजन प्रकोष्ट भी बनाया गया है। यह प्रकोष्ठ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, समूह चर्चा तथा योग्यताओं में सुधार लाने पर विशेष ध्यान देता है। यह नियोजन प्रकोष्ठ प्रत्येक वर्ष बहुत से विद्यार्थियों के लिए रोजगार / प्लेसमेंट की व्यवस्था भी करता रहा है।

अन्य कोष्ठ एवं परियोजनाएं

महाविद्यालय में कार्यरत विभिन्न प्रकोष्ठ/परियोजनाएँ		
क्र. सं.	**सेल/क्लब का नाम**	**संयोजक/सह संयोजक**
1	ऐड-ऑन पाठ्यक्रम	प्रोफेसर मीना शर्मा
2	ए.आई.एस.एच.ई. (AISHE)	डॉ. अनिल कुमार
3	धूम्रपान विरोधी एवं नशीली दवा कक्ष	डॉ. विपिन प्रताप सिंह
4	अरुंधति - भारतीय ज्ञान परम्परा केंद्र	प्रो. हरीश अरोड़ा (संयोजक) डॉ. मयंक पांडे (सह संयोजक)
5	नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग (ARIIA)	सुश्री नैन्सी
6	आज़ादी का अमृत महोत्सव	डॉ. मीता भटनागर
7	बडीज़ इंटरेक्शन ग्रुप (बीआईजी)-समर्थ	डॉ. परमीत सिंह
8	कॉलेज वेबसाइट निगरानी एवं रखरखाव कक्ष	डॉ. अजय कुमार गर्ग
9	योग्यता संवर्धन योजना	प्रोफेसर हरीश अरोड़ा
10	कोविड-19 कार्य समूह	प्रो. बी.एन. चौधरी
11	संस्कृति एवं नैतिकता प्रकोष्ठ	श्रीमती रेणुका धर बजाज (संयोजक) श्रीमती उदिता अग्रवाल डॉ. सोनिका नागपाल
12	साइबर क्लब	प्रो. ओंकार लाल मीना
13	डी.यू. शताब्दी समारोह समिति	प्रो. संजय कुमार
14	दृश्यम (फोटोग्राफी एवं फिल्म मेकिंग क्लब)	सुश्री. गरिमा भारद्वाज
15	अर्था	डॉ. डिंपल गुप्ता
16	एक भारत श्रेष्ठ भारत	डॉ. मीता भटनागर
17	एक पहल (लड़कियों के लिए निःशुल्क स्कूटी ड्राइविंग प्रशिक्षण)	प्रोफेसर मीना शर्मा
18	EnaCtus	श्रीमती सोनिया ढींगरा
19	समान अवसर सेल	डॉ. विपिन प्रताप सिंह
20	ई-संवाद	डॉ. देवदत्त भारती
21	ईडब्लूएस सेल	श्री विकाश शर्मा
22	परीक्षा	डॉ. रमेश कुमार
23	फेसबुक हैंडलर	श्री. आदित्य प्रताप सिंह
24	फीडबैक एवं परिणाम विश्लेषण कक्ष	श्रीमती उदिता अग्रवाल
25	फ़िन्शाला (वित्त क्लब)	सुश्री. रिम्मी जैन (संयोजक) डॉ. अभिषेक कुमार सिंह (सह संयोजक)

26	विदेशी छात्र प्रकोष्ठ	डॉ. नीलोत्पल मृणाल
27	जी-20	सुश्री. उदिता अग्रवाल (संयोजक) डॉ. करिश्मा सारस्वत (सह संयोजक)
28	जी-20 (जनभागीदारी)	डॉ. करिश्मा सारस्वत
29	गांधी अध्ययन केंद्र	सुश्री संगीता शर्मा
30	हर घर ध्यान	डॉ. श्रुति वी.आई.पी
31	हिमालयन स्टडी सर्कल	डॉ. राज कुमारी पांडे
32	मानव संसाधन प्रबंधन अध्ययन मंडल	डॉ. नितीश बागड़ी
33	उद्योग संस्थान इंटरेक्शन सेल	डॉ. जय शंकर शर्मा
34	इंस्टाग्राम हैंडलर	सुश्री संगीता शर्मा
35	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कक्ष (आईक्यूएसी)	डॉ. अनिता बजाज
36	इंटर्नशिप सेल	डॉ. मृदुला अरोड़ा
37	आईटी सेल	श्री अमित कुमार (संयोजक) डॉ. जय शंकर शर्मा श्री आदित्य प्रताप सिंह
38	मार्केटिंग स्टडी सर्कल	डॉ. सारिका शर्मा
39	मातृभाषा प्रकोष्ठ	श्री अनिल कुमार
40	मीडिया सेल	डॉ. हरीश अरोड़ा (संयोजक) श्री जसपाल सिंह डॉ. योगेश शर्मा
41	मेंटर-मेंटी सेल	श्रीमती उदिता अग्रवाल
42	भारत का राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन	सुश्री दीपिका शर्मा
43	राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्टअप नीति	डॉ. सोनिका नागपाल
44	राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ)	सुश्री नैन्सी
45	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और पीएमएसएसएस	प्रोफेसर सुभेंदु रंजन राज
46	राष्ट्रीय युवा संसद योजना (NYPS)	डॉ. करिश्मा सारस्वत
47	उत्तर पूर्व सेल	सुश्री पल्लवी दत्ता
48	ओबीसी सेल	डॉ. तरूण कुमार दीप
49	लोगों की पसंद अभियान	डॉ. नीलम कपूर (संयोजक) श्री. रजनीश शर्मा (सह संयोजक)
50	प्लेसमेंट सेल	डॉ. मृदुला अरोड़ा (संयोजक)
51	आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति	प्रो. ओंकार लाल मीना (संयोजक) डॉ. अनिल कुमार (सह संयोजक)
52	राजभाषा परकोष्ठ	डॉ. डिंपल गुप्ता
53	राष्ट्रीय कवि संगम	डॉ. पवन कुमार (संयोजक) सुश्री. रिम्मी जैन (सह-संयोजक)
54	रेड रिबन क्लब	डॉ. मीनाक्षी यादव
55	अनुसंधान एवं विकास कक्ष	डॉ. रुचिरा पाठक
56	रोटरैक्ट क्लब	सुश्री रुचिता मचल
57	संकल्प	डॉ.मनोज कुमार
58	संस्पर्श	डॉ.कुलदीप सिंह
59	सावी	डॉ. मयंक पांडे
60	एससी-एसटी सेल	सुश्री रुचिता मचल
61	शी-बॉक्स पोर्टल	प्रोफेसर मीना शर्मा
62	कौशल नवाचार एवं उद्यमिता प्रकोष्ठ	श्रीमती सोनिया ढींगरा
63	स्पिक मैके	डॉ. पलविंदर कौर बख्शी
64	छात्र सेवा केंद्र	प्रो. प्रमोद कुमार सेठी
65	वन्यजीवन और संरक्षित क्षेत्रों के लिए छात्र चैंपियन	डॉ. मयंक पांडे
66	शुभ आशीष	डॉ. जयपाल
67	स्वीप (चुनावी साक्षरता क्लब)	डॉ. ईशा वर्मा
68	ट्विटर हैंडलर	डॉ. श्रुति विप डॉ. सोनिका नागपाल
69	उद्योगमाद्य फाउंडेशन	श्रीमती सोनिया ढींगरा (संयोजक) डॉ. सोनिका नागपाल (सह-संयोजक)
70	उन्नत भारत	सुश्री. रुचिता मचल
71	विद्या विस्तार योजना (V2S)	डॉ. अभिषेक कुमार सिंह
72	विद्यांजलि उच्च शिक्षा स्वयंसेवक योजना	डॉ. मयंक पांडे
73	विकसित भारत	डॉ. ललिता सिंह
74	वित्तज्ञान (वित्तीय साक्षरता अध्ययन मंडल)	सुश्री. रिम्मी जैन
75	महिला विकास प्रकोष्ठ (डब्ल्यूडीसी)	प्रो. मीना शर्मा (संयोजक) श्रीमती प्रियंका चटर्जी डॉ. सोनिका नागपाल
76	(डब्ल्यू.यू .एस.) - दिल्ली विश्वविद्यालय सेल	डॉ. बीना मीना
77	योग क्लब	डॉ. श्रुति वी.आई.पी
78	यूथ फॉर क्वालिटी भारत मिशन	सुश्री. प्रियंका चटर्जी
79	युवा	डॉ. जय शंकर शर्मा
80	जेनिथ (मानव संसाधन क्लब)	डॉ. नितीश बागड़ी
81	जेस्ट (विपणन और उपभोक्ता जागरूकता)	डॉ. सारिका शर्मा

सभी छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में अपना नामांकन कराएँ।

* वर्ष 2025 से स्थगित

ऐड-ऑन पाठ्यक्रम: अल्पकालिक पाठ्यक्रम और डिप्लोमा

पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्य) दिल्ली विश्वविद्यालय इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (आईसीईआरटी) के सहयोग से सितंबर 2025 से निम्नलिखित ऐड-ऑन पाठ्यक्रम शुरू करेगा।

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का शीर्षक	अवधि
1.	विदेशी भाषा में सर्टिफिकेट कोर्स -फ्रेंच	6 माह / 150 hrs.
2.	विदेशी भाषा में सर्टिफिकेट कोर्स -स्पेनिश	6 माह / 150 hrs.
3.	विदेशी भाषा में सर्टिफिकेट कोर्स -जापानी	6 माह / 150 hrs.
4.	विदेशी भाषा-फ्रेंच में डिप्लोमा	6 माह / 150 hrs.
5.	विदेशी भाषा-स्पेनिश में डिप्लोमा	6 माह / 150 hrs.
6.	विदेशी भाषा-जापानी में डिप्लोमा	6 माह / 150 hrs.
7.	विदेशी भाषा-फ्रेंच में एडवांस डिप्लोमा	6 माह / 150 hrs.
8.	विदेशी भाषा-स्पेनिश में एडवांस डिप्लोमा	6 माह / 150 hrs.
9.	विदेशी भाषा-जापानी में एडवांस डिप्लोमा	6 माह / 150 hrs.
10.	मास मीडिया में सर्टिफिकेट कोर्स	6 माह / 150 hrs.
11.	मास मीडिया में डिप्लोमा	6 माह / 150 hrs.
12.	मास मीडिया में एडवांस डिप्लोमा	6 माह / 150 hrs.

दाखिले के लिए वार्षिक शुल्क संरचना 2025-26

क्र. सं.	प्रवेश शुल्क	बी.ए.पी . (रु.)	बी सी पी (रु.)	बी.सी.एच (रु.)	एम्.टी.एच. (रु.)	एच.एन. एच./पी.एस.एच./ एस.के.टी. (रु.)	यूजी-पी.डब्लू.डी. विद्यार्थी (रु.)
1	**अध्यापन (ट्यूशन) एवं महाविद्यालय शुल्क**						
	महाविद्यालय प्रवेश शुल्क	5	5	5	5	5	5
	अध्यापन (ट्यूशन) शुल्क (मई से अप्रैल)	180	180	180	180	180	
	(1) कुल रुपए.	**185**	**185**	**185**	**185**	**185**	
2	**विश्वविद्यालय छात्र कल्याण निधि**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	
3	**महाविद्यालय छात्र कल्याण निधि**						
	जमानत राशि	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	एन.एस.एस.	20	20	20	20	20	
	चिकत्सा शुल्क	100	100	100	100	100	
	एन.सी.सी. शुल्क	75	75	75	75	75	
	खेल शुल्क	350	350	350	350	350	
	विषय सेमिनार शुल्क	500	500	500	500	500	
	शोध परियोजना शुल्क	150	150	150	150	150	
	(3) कुल रुपए.	**2465**	**2465**	**2465**	**2465**	**2465**	
4	विश्वविद्यालय विकास निधि	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**	
5	महाविद्यालय विकास निधि						
	विकास निधि	2500	2500	2500	2500	2500	
	विद्यार्थियों की समितियों का शुल्क	600	600	600	600	600	
	सामाजिक समरोह शुल्क	300	300	300	300	300	
	(5) कुल रुपए.	**3400**	**3400**	**3400**	**3400**	**3400**	
6	विश्वविद्यालय सुविधा एवं सेवा शुल्क	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**	
7	महाविद्यालय सुविधा एवं सेवा शुल्क						
	पुस्तकालय एवं वाचनालय शुल्क	300	300	300	300	300	
	महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	250	250	250	250	250	
	बिजली एवं जल का शुल्क	1720	1720	1720	1720	1720	
	परियोजना शुल्क	200	200	200	200	200	
	बगीचा शुल्क	50	50	50	50	50	
	एसएएफ	400	400	400	400	400	
	पहचान पत्र शुल्क	150	150	150	150	150	
	महाविद्यालय छात्र संघ शुल्क	75	75	75	75	75	
	पूर्व छात्र शुल्क	150	150	150	150	150	
	कंप्यूटर शुल्क	1000	2000	2000	2000	1000	
	बीमा शुल्क	150	150	150	150	150	150
	सामान्य सुविधा शुल्क	2500	2500	2500	2500	2500	

	(7) कुल रुपए.	6675	7675	7675	7675	6675	
8	विश्वविद्यालय ई.डब्ल्यू.एस. सहायता निधि	250	250	250	250	250	
9	दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डू.सू.) शुल्क	40	40	40	40	40	40
	(1 - 9)* कुल =	16265	17265	17265	17265	16265	1345

***परीक्षा शुल्क के अलावा**

बी. ए. पी. = बी. ए. (प्रोग्राम)
बी.सी.पी. = बी. कॉम. (प्रोग्राम)
बी. सी.एच. = बी. कॉम. (ऑनर्स)
एम.टी.एच. = बी. एस.सी. (ऑनर्स) गणित
एच.एन.एच. = बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी
पी.एस.एच. = बी.ए. (ऑनर्स) राजनिति विज्ञान
एस.के.टी.एच. = बी.ए. (ऑनर्स) संस्कृत

दाखिले के लिए वार्षिक शुल्क संरचना 2025-26

क्र. सं.	प्रवेश शुल्क	एम.ए. (हिंदी) (रु.)	एम.ए.- पी.डब्लू.डी. विद्यार्थी (रु.)
1	**अध्यापन (ट्यूशन) एवं महाविद्यालय शुल्क**		
	महाविद्यालय प्रवेश शुल्क	5	5
	अध्यापन (मई से अप्रैल) शुल्क (ट्यूशन)	216	
	विश्वविद्यालय पुस्तकालय जमानत शुल्क	1000	
	महाविद्यालय पुस्तकालय जमानत शुल्क	200	200
	(1) कुल रुपए.	**1421**	**205**
2	**विश्वविद्यालय छात्र कल्याण निधि**	**250**	**250**
3	**महाविद्यालय छात्र कल्याण निधि**		
	जमानत शुल्क	1000	
	एन. एस. एस.	20	20
	चिकित्सा शुल्क	100	
	एन. सी. सी. शुल्क	75	
	खेल शुल्क	350	
	विषय सेमिनार शुल्क	500	
	शोध परियोजना शुल्क	150	150
	(3) कुल रुपए.	**2465**	**170**
4	**विश्वविद्यालय विकास निधि**	**1500**	**1500**
5	**महाविद्यालय विकास निधि**		
	विकास निधि	2500	
	छात्र समिति शुल्क	600	
	सामाजिक समरोह शुल्क	300	
	(5) कुल रुपए.	**3400**	**0**
6	**विश्वविद्यालय सुविधा एवं सेवा शुल्क**	**1500**	**1500**
7	**विश्वविद्यालय सुविधा एवं सेवा शुल्क**		
	पुस्तकालय एवं वाचनालय शुल्क	300	
	महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	250	
	बिजली एवं जल का शुल्क	1720	
	परियोजना शुल्क	200	

	बगीचा शुल्क	50	
	एस ए एफ	400	
	पहचान पत्र शुल्क	150	150
	महाविद्यालय छात्र संघ शुल्क	75	
	पूर्व छात्र शुल्क	150	150
	कंप्यूटर शुल्क	1000	
	बीमा शुल्क	150	150
	सामान्य सुविधा शुल्क	2500	10
	(7) कुल रुपए.	**6675**	**460**
8	**विश्वविद्यालय ईडब्ल्यूएस सहायता निधि**	**250**	**250**
9	**महाविद्यालय ईडब्ल्यूएस सहायता निधि**	**40**	**40**
	(1 - 9) कुल =	**17501**	**4375**

प्रवेश वापस लेने/रद्द करने पर शुल्क वापसी के नियम

क्र. सं.	**शुल्क वापस मांगने के कारण**	**वापस की जाने वाली फीस की मात्रा**
1.	जब विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की ओर से गलती/चूक के कारण अनजाने में प्रवेश हो जाता है।	पूर्ण शुल्क एवं पूर्ण परीक्षा शुल्क।
2.	जब प्रवेश तथ्यों को छुपाने/मिथ्याकरण के कारण, गलत/नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण, छात्र द्वारा तय किए गलत जानकारी प्रदान करने के कारण या छात्र की ओर से किसी त्रुटि/गलती के कारण रद्द होता है।	विश्वविद्यालय के निर्णयानुसार।
3.	अगर किसी विद्यार्थी की मृत्यु प्रवेश लेने की अंतिम दिनांक से एक महीने के अंतराल के बीच हो जाती है।	पूर्ण शुल्क परीक्षा शुल्क के साथ उसके अभिभावक को वापस की जाएगी।

अभ्यर्थी के नाम से एक बचत खाता होना चाहिए। किसी भी प्रकार का भुगतान, चाहे वह कितना भी हो, सीधे भुगतान प्रणाली द्वारा अभ्यर्थी के बचत खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

स्मार्ट आई कार्ड

शैक्षणिक वर्ष (2017-18) से विद्यार्थियों को बहुउद्देशीय (इलेक्ट्रॉनिक मोड) स्मार्ट पहचान पत्र प्रदान किए जाते हैं।

महाविद्यालय में प्रवेश के समय देय शुल्क

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे कॉलेज द्वारा जारी शुल्क रसीद को सुरक्षित रखें। यदि यह खो जाती है या गुम हो जाती है तो 100 रुपए के जुर्माने के भुगतान पर रसीद की नकल प्राप्त की जा सकती है। कॉलेज में प्रवेश चाहने वाले विदेशी छात्रों को कॉलेज की नियमित फीस के अलावा विदेशी छात्रों के पंजीकरण शुल्क के लिए प्रति वर्ष एक राशि (विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित) जमा करनी होगी।

महाविद्यालय की बकाया राशि का भुगतान न करना

यदि निर्दिष्ट तिथि तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो विलंब शुल्क लिया जाएगा। यदि उल्लिखित माह के अंतिम दिन तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो डिफॉल्टर का नाम बिना कोई नोटिस दिए महाविद्यालय से काट दिया जाएगा। हालाँकि, जिन छात्रों का नाम इस प्रकार काटा जाएगा, उन्हें पुनः प्रवेश शुल्क और अन्य देय राशि के भुगतान के पश्चात पुनः प्रवेश मिल सकेगा।

वार्षिक पुरस्कार

प्रतिभावान विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं छात्रवृतियाँ प्रदान करने के लिए महाविद्यालय में निम्नलिखित प्रतिभा निधियाँ स्थापित की गई हैं:

1. श्री जगन्नाथ मधोक प्रतिभा निधि
2. श्रीमती मथुरा बाई प्रतिभा निधि
3. श्री गुरूदत्त शर्मा प्रतिभा निधि
4. श्रीमती श्याम अग्रवाल प्रतिभा निधि
5. डॉ. नित्यानंद शर्मा छात्रवृत्ति
6. श्री राज नारायण गोयल छात्रवृत्ति
7. श्री के. एल. अग्रवाल प्रतिभा निधि
8. श्री रामचन्द्र गुप्ता शांति देवी प्रतिभा निधि
9. डॉ. आर.सी. आनंद प्रतिभा निधि
10. श्रीमती शांति देवी मधोक एवं श्री राजेन्द्र नाथ मधोक प्रतिभा निधि
11. श्रीमती रुक्मिणी देवी शर्मा स्मारक पुरस्कार
12. श्रीमती द्रौपदी देवी एवं श्री राजपाल शर्मा स्मारक पुरस्कार

13. श्रीमती मधु शर्मा स्मारक पुरस्कार
14. श्रीमती सावित्री देवी स्मारक पुरस्कार
15. श्री बी. के. गुप्ता और श्रीमती विमला देवी स्मारक पुरस्कार (सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के लिए)
16. श्री राजीव रंजन स्मारक पुरस्कार
17. डॉ. दीपा प्रकाश पुरस्कार
18. डॉ. एम एस वी सुब्रमण्यम स्मारक पुरस्कार
19. डॉ. अनिल सिंह एवं श्रीमती रेणु सिंह स्मारक पुरस्कार

छात्र सहायता कोष

जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद के लिए कोष से नकद या अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है।

प्रवेश समिति : 2025-26

1. प्रो. शुभेंदु रंजन राज (राजनीतिक विज्ञान), संयोजक
2. प्रो. नागेंद्र शर्मा (इतिहास)
3. प्रो. प्रमोद कुमार सेठी (शारीरिक शिक्षा)
4. प्रो. हरीश अरोड़ा (हिंदी)
5. डॉ. विपिन प्रताप सिंह (अंग्रेजी)
6. डॉ. दीपिका शर्मा (अर्थशास्त्र)
7. डॉ. कुलदीप (संस्कृत)
8. डॉ. कामिनी रावत (गणित)
9. डॉ. अजय कुमार गर्ग (वाणिज्य)
10. डॉ. सोनिका नागपाल (वाणिज्य)

शैक्षिक सत्र 2025-26 में प्रवेश से संबंधी शिकायत के लिए समिति

1. प्रो. ओ. एल. मीना - 9868534491
2. श्री परमीत सिंह - 9716906306

गैर-शिक्षण कर्मचारी

प्रशासनिक अनुभाग

श्री सुमित सुहाग, अनुभाग अधिकारी (प्रशासनिक)
श्री अनिल कुमार जसवाल, वरिष्ठ सहायक
श्री अमित दुरेजा, सहायक
श्री दिलबर सिंह , सहायक
श्री संतोष कुमार, कनिष्ठ सहायक
श्री विजय पाल यादव, कनिष्ठ सहायक एवं केयरटेकर
श्री प्रदीप, कनिष्ठ सहायक
श्री राम प्रकाश सिंह , कार्यालय परिचर
श्री सीता राम, कार्यालय परिचर
श्री गुलशन कुमार, कार्यालय परिचर

लेखा अनुभाग

श्री रवि वधवा, अनुभाग अधिकारी (लेखा)
श्री नरेंद्र कुमार, वरिष्ठ सहायक
श्री अनीश वर्मा, सहायक
श्री राजन कुमार, कनिष्ठ सहायक
श्री अरुन यादव, कनिष्ठ सहायक
श्री रामशरण, कार्यालय परिचर

पुस्तकालय

श्री पवन कुमार मैथानी, सलाहकार
श्री विक्रांत सिंह ठाकुर, अर्ध व्यवसायिक सहायक
सुश्री सुष्मिता, अर्ध व्यवसायिक सहायक
श्री उमेश शर्मा, पुस्तकालय सहायक
श्री दिनेश कुमार, पुस्तकालय सहायक
श्री विपिन कुमार, पुस्तकालय परिचर
श्री कुणाल कुमार, पुस्तकालय परिचर
श्री अंकित, पुस्तकालय परिचर
सुश्री श्वेता, पुस्तकालय परिचर
श्री शुभम कुमार शर्मा, पुस्तकालय परिचर

शैक्षिक सत्र 2025-26 में एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी आवेदकों के प्रवेश के लिए विशेष सहायता डेस्क

श्री विकाश शर्मा (ईडब्ल्यूएस) -9711735359
डॉ. बीना मीना (संपर्क अधिकारी, एससी/एसटी) -9717740241
डॉ. ललिता सिंह (ओबीसी) -9580048940
डॉ. विपिन प्रताप सिंह (पीडब्ल्यूबीडी) -9999924474

महाविद्यालय के समर्पित हेल्पलाइन नंबर

महाविद्यालय कार्यालय नंबर 011 - 29845214
डॉ. अनिरुद्ध कुमार - 8527823342

विशेष अधिकारी

पीआईओ (आरटीआई)	डॉ. नीलोत्पल मृणाल	अनुशासन संसाधन समिति	डॉ. हरि प्रताप सिह
एनएसएस अधिकारी	डॉ. पुनीत चांदला	संपर्क अधिकारी (ओबीसी)	डॉ. ललिता सिह
संपर्क अधिकारी (ईडब्ल्यूएस)	श्री विकाश शर्मा	नोडल अधिकारी (एआईएसएचई)	डॉ. अनिल कुमार
आंतरिक शिकायत समिति	डॉ. राज कुमारी पांडेय	एनसीसी अधिकारी	डॉ. हरि प्रताप
संपर्क अधिकारी (एससी/एसटी)	डॉ. बीना मीना	संपर्क अधिकारी (पीडब्ल्यूडी)	डॉ. विपिन प्रताप सिह

प्लेसमेंट एवं इंटर्नशिप कक्ष

प्रो. मृदुला अरोड़ा

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कक्ष

प्रो. अनिता बजाज

संकाय सदस्यों की सूची

प्राचार्य : प्रो. रवीन्द्र कुमार गुप्ता
कोषाध्यक्ष : श्री अमित कुमार

अंग्रेजी विभाग

सुश्री रेणुका धर बजाज
डॉ. मीता भटनागर
श्री जसपाल सिह
श्रीमती प्रियंका चटर्जी (प्रभारी)
सुश्री संगीता शर्मा
डॉ. अनिल कुमार
डॉ. विपिन प्रताप सिह
सुश्री रुचिता माछल
सुश्री पल्लवी दत्ता

हिंदी विभाग

डॉ. राज कुमारी पांडेय
प्रो. आशा रानी (प्रभारी)
प्रो. ओंकार लाल मीणा
प्रो. हरीश अरोड़ा
प्रो. मीना शर्मा
डॉ. अनिरुद्ध कुमार
डॉ. पुनीत चांदला
श्री बलवंत सिह
डॉ. डिपल गुप्ता
डॉ. बीना मीना
डॉ. सुंदरम शर्मा
डॉ. आनंद कुमार
श्री विकास शर्मा
डॉ. ललिता सिह
डॉ. पवन कुमार

गणित विभाग

श्रीमती उदिता अग्रवाल
डॉ. हरि प्रताप (प्रभारी)
डॉ. कामिनी रावत
डॉ. दीपक कुमार पोरवाल
श्री आदित्य प्रताप सिह
श्री अलोक कुमार
श्री रंकेश मीणा

अर्थशास्त्र विभाग

श्रीमती आशिमा भाटिया
श्रीमती गीता आहूजा
श्रीमती दीपिका शर्मा (प्रभारी)
सुश्री नैंसी

राजनीति विज्ञान विभाग

प्रो. बासुकी नाथ चौधरी
डॉ. नीलोत्पल मृणाल (प्रभारी)
प्रो. शुभेंदु रंजन राज
डॉ. ईशा वर्मा
डॉ. शमशेर सिह
श्री परमीत सिह
श्री मनोज कुमार
डॉ. संज्ञा राम
श्री जय गुप्ता
डॉ. राहुल रंजन
डॉ. निशा सेंगर

वाणिज्य विभाग

श्री अमित कुमार
प्रो. रवीन्द्र कुमार गुप्ता (प्राचार्य)
प्रो. अनिता बजाज
डॉ. रुचिरा पाठक
श्री रमेश कुमार
डॉ. पलविदर कौर बक्शी
श्रीमती सोनिया ढींगरा
प्रो. कृष्णा शुक्ला
डॉ. जयशंकर शर्मा (प्रभारी)
डॉ. अजय कुमार गर्ग
डॉ. सोनिका नागपाल
डॉ. करिश्मा सारस्वत
डॉ. मीनाक्षी यादव
सुश्री रिम्मी जैन
डॉ. नितीश बागड़ी
सुश्री गरिमा भारद्वाज
डॉ. नीलम कपूर
श्री रजनीश शर्मा
डॉ. देवदत्त भारती
डॉ. अभिषेक कुमार सिह
डॉ. सारिका शर्मा
सुश्री जुलिका मधोरिया

इतिहास विभाग

प्रो. संजय कुमार
प्रो. मृदुला अरोड़ा (प्रभारी)
प्रो. नागेंद्र शर्मा

शारीरिक शिक्षा विभाग

प्रो. प्रमोद कुमार सेठी (प्रभारी)

पर्यावरण विज्ञान विभाग

डॉ. मयंक पांडेय
डॉ. जयपाल (प्रभारी)

संस्कृत विभाग

डॉ. योगेश शर्मा
डॉ. तरुण कुमार दीप (प्रभारी)
डॉ. कुलदीप सिह

मीडिया कवरेज

पीजीडीएवी महाविद्यालय सांध्य में हुआ राष्ट्रीय कवि सम्मेलन

नई दिल्ली। फोकस न्यूज। 'कविता मानव को मानव से जोड़ती है और समाज को नई दिशा प्रदान करती है' ऐसा अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल ने पीजीडीएवी महाविद्यालय (सांध्य) दिल्ली विश्वविद्यालय ...

वीर अर्जुन

Date 06-01-2025

जीडीएवी कॉलेज सांध्य में 'भाषा संगम - भारतीय भाषाएं और विकसित भारत' संगोष्ठी का आयोजन

वीर अर्जुन संवाददाता

दिल्ली। पीजीडीएवी कॉलेज (सांध्य), विश्वविद्यालय में भाषा संगम - भारतीय और विकसित भारत विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह भारतीय भाषा समिति (शिक्षा मंत्रालय, सरकार) द्वारा वित्तपोषित थी। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं की भूमिका और ...त भारत' के निर्माण में उनके योगदान ... करना था। संगोष्ठी भारतीय शिक्षण और पीजीडीएवी कॉलेज (सांध्य) के प्रयासों से आयोजित हुई।

भाषा संगम - भारतीय भाषाएं और विकसित भारत विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लेते हुए अतिथिगण।

...र्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि और ...क्ता डॉ. सच्चिदानंद जोशी (अखिल ... अध्यक्ष, भारतीय शिक्षण मंडल) ने ... उन्होंने अपने संबोधन में भाषाओं के ...प्रयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए ... मातृभाषा के साथ-साथ एक अन्य ... भी उपयोग करना चाहिए। विशिष्ट ... श्री अनिल गुप्ता (सीए, दिल्ली प्रांत ..., राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रसिद्ध ...वी) ने भी इस अवसर पर अपना विचार ...किए। उन्होंने कहा कि बच्चे अपनी ... में तेजी से सीखते हैं। उन्होंने इंग्लिश ... पर भी प्रकाश डाला, लेकिन यह स्पष्ट ...क भारतीय भाषाओं के अधिकार पर इसे बल नहीं देना चाहिए। उन्होंने भाषा की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि यह रिश्तों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राचार्य प्रो. आर.के. गुप्ता ने स्वागत भाषण में संगोष्ठी की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भाषा संगम जैसे प्रयास बहुभाषिक शिक्षा को प्रोत्साहित करते है और मातृभाषाओं के महत्व को उजागर करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मातृभाषा मे संवाद व शिक्षा भारत को विकसित बनाने की दिशा मे एक महतवपूर्ण कारक होगा। श्री अनंत विजय (एसोसिएट एडिटर) ने भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने सरकार की भाषा नीतियों पर केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। डॉ. रवि प्रकाश टेकचंदानी (निदेशक, राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद) ने भाषाओं को 'सीम' और 'असीम' शब्दों के माध्यम से समझाते हुए कहा कि यदि भाषाओं को सीमित कर दिया जाए, तो वे सीमित हो जाती है, लेकिन यदि उन्हें व्यापक रूप से पढ़ाया जाए, तो वे असीमित बन जाती है। पहले सत्र का विषय भारतीय भाषाएं और सरकारी नीतियां था, जिसकी अध्यक्षता प्रो. रवि प्रकाश टेकचंदानी ने की। इस सत्र में प्रो. गिरीश नाथ झा (अध्यक्ष, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग) ने भारतीय भाषाओं में शब्दावली निर्माण और मशीन भाषा की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने छात्रों को आयोग से जुड़ने और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित किया। अन्य वक्ताओं ने भारतीय भाषाओं की सरकारी नीतियों में वैज्ञानिक उपयोगिता पर विचार प्रस्तुत किए। दूसरा सत्र भारत को विकसित बनाने में भारतीय भाषाओं की भूमिका पर केंद्रित था। इस सत्र में प्रो. चंदन झा ने भारतीय भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्व को रेखांकित किया। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री तडिमल्ला भास्कर गौतम और श्री जॉयदीप रॉय ने भारतीय भाषाओं में कानून की भूमिका पर जोर दिया। समापन सत्र में प्रो. अजय सिंह (भारतीय शिक्षण मंडल) ने शब्द से मौन तक की यात्रा विषय पर गहन चर्चा की। उन्होंने भाषाई मुद्दों और मानव जीवन में उनकी भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। विभिन्न सत्रों का संचालन डॉ अनिल स्वदेशी, डॉ डिंपल गुप्ता, डॉ पल्लवी और डॉ निशा ने किया। सत्र के अंत में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें शास्त्रीय नृत्य, गीत नाटक, और कविता पाठ के माध्यम से भारत की भाषाई विविधता को प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। यह संगोष्ठी भारतीय भाषाओं के संवर्धन और उनके महत्व पर सार्थक चर्चा का मंच साबित होगी।

संस्कारों से ही समस्याओं का उन्मूलन संभव : डॉ. इंद्रेश कुमार

दैनिक जागरण

One day Symposium on "Career Options"

New Delhi, Focus News: The Career Guidance Committee of PGDAV College (Evening) organized a Symposium on "Career Options" to guide the students about suitable career options in various service sectors related to administration, jurisprudence and economics on 9th April. The program started with Gayatri Mantra and college song. College students Pranav, Alka Yadav and Gayatri managed the stage and ... currently available in central and state administrative services emphasizing the need to be extremely focused and disciplined in preparation for competitive exams as also being aware of the identity of India. The students asked various questions to clear their doubts and made the session very interesting. The interaction of the specialist alumni with the current students was a novelty as students could relate to ...

दैनिक सीमान्त रक्षक

गुरुवार, 14 मार्च 2024

सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर

विविध

आकाशवाणी, दिल्ली और पीजीडीएवी कॉलेज (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय हास्य कवि सम्मलेन सम्पन्न

पीजीडीएवी कॉलेज में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन

पर्यावरण को बनाए रखने में उत्कृष्ट प्रदर्शन विशेष ध्यान दिया जाएगा।

महिला कानून के बढ़ते दुरुपयोग पर चर्चा

धारा 498 (ए) में कमियां, जिसमें संशोधन की मांग उठना लाजिमी है : इंद्रेश कुमार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

विश्व नारी अभ्युदय संस्थान और पीजी डीएवीकॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय चिंतन दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता जायसवाल ने धारा 498 (ए) में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून का कई महिलाएं गलत इस्तेमाल कर रही हैं। दिल्ली चैप्टर की अध्यक्षा एडवोकेट अर्चना सिंह ने संगठन ने कहा कि पारिवारिक बिखराव को रोकने के लिए कानून की शरण के साथ-साथ नैतिक मूल्यों को आत्मसात करना पड़ेगा। इसके बिना कानूनी दुरुपयों को रोका नहीं जा सकता। दिल्ली चैप्टर की अध्यक्षा एडवोकेट अर्चना सिंह ने पारिवारिक बिखराव को रोकने के लिए कानून की शरण के साथ-साथ नैतिक मूल्यों को आत्मसात करना पड़ेगा। जस्टिस लक्ष्मण सिंह सोलंकी ने कहा कि ऐसे कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसका निदान बातचीत से संभव हो सकता है। मुख्य अतिथि इंद्रेश कुमार ने कहा कि धारा 498 (ए) में बहुत ही कमियां हैं। जिसमें संशोधन की

वीर अर्जुन

वर्षों से राष्ट्र की सेवा में समर्पित

विविध : 'फाइटर' के प्रमोशन से दीपिका ने क्यों बनाई दूरी? * नई दिल्ली, लखनऊ एवं देहरादून से प्रकाशित

जिल्द: 40, अंक : 54 पृष्ठ : 12 E-mail : dailyvirarjun@gmail.com Website : www.virarjun.com E-Paper : www.epapervirarjun.com

R.N.I. No. 511/5 D.L.(C)-05/1270/2024-26 (Posted at Delhi RMS) नई दिल्ली, बुधवार, 24 जनवरी, 2024 मूल्य : रु 4.00 प्रभात संस्करण

आधुनिकता से परिपूर्ण था राम युग : ऋषि भटनागर

नई दिल्ली (वीअ)। रामयुग की जीवन यात्रा को भले ही लोग काल्पनिक कहते हों लेकिन आधुनिक प्रमाणों से सिद्ध होता है कि वह न सिर्फ यथार्थ गाथा है बल्कि वह युग आधुनिकता से परिपूर्ण भी था।' ये विचार पीजीडीएवी कॉलेज (सांध्य) द्वारा श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 'वन गमन मार्ग की वर्तमान भौगोलिक स्थिति' विषय पर आयोजित मांगलिक कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य वक्ता ऋषि भटनागर द्वारा कहे गए। इस अवसर पर उन्होंने पुष्पक विमान का उदाहरण देते हुए कहा कि आधुनिक जीवन के अनेक वैज्ञानिक अनुसंधानों की भारतीय शास्त्रों में पहले से ही उपस्थिति है। उन्होंने अयोध्या में बनने वाले आधुनिक म्यूजियम की चर्चा भी ... कॉलेज में बनने वाली यज्ञशाला में स्थापित होने वाले ओम यंत्र का अनावरण भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार रखते हुए श्री उत्तम कुमार ने कहा कि हम राम युग की ओर लौट रहे हैं। हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था की जड़े राम के युग की तरफ जा रही है। उनके विचार में मनुष्य का आचरण यदि राम के जीवन को आत्मसात करे तो हम ... के चरित्र की उदात्तता को केंद्र में रखते हुए कहा कि आज की पीढ़ी राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारकर ही मानवीय मूल्यों से युक्त अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकती है।

इस अवसर पर उन्होंने राम गमन की पूर्ण यात्रा के मानचित्र का उद्घाटन करते हुए राम के अस्तित्व की प्रमाणिकता का उल्लेख किया। कार्यक्रम में ... कि भारतीय संस्कृति में चित्र की नही चरित्र की पूजा की जाती है। उन्होंने रामराज्य की परिकल्पना को यथार्थ जीवन के साथ सम्बद्ध करते हुए उत्तरकाण्ड में व्याख्यायित राम राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर संजय ने राम वन गमन की अपनी निजी यात्रा को अपने शब्दों में बताते हुए सभी को उस यात्रा का अनुभव कराया। उन्होंने इस अवसर पर राम के साथ अपने आत्मिक संबंधों को बताते हुए कहा कि इस यात्रा में राम भी उनके सहयात्री बने रहे। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर उदिता अग्रवाल तथा धन्यवाद ज्ञापन पुनीत चांदला द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रो. अनिता बजाज, डॉ. जयशंकर शर्मा, श्रीमती रेणुका धर बजाज आदि

पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्य), नेहरु नगर, नई दिल्ली - 110065
(दिल्ली विश्वविद्यालय)

P.G.D.A.V. College (Eve.), Nehru Nagar, New Delhi - 110065
(University of Delhi)

नोट : इस विवरणिका में दी गई सूचनाओं को प्राचार्य द्वारा किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है।